अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील आज्ञप्ति के बाद बार-बार तामील हेतु पाबन्द किया गया किन्तु तामील हेतु सम्मन तामील प्रेष नहीं किया गया। एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 1/04/22 को पेश हो।

01/04/22 पत्रावली पेश डी। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील हेतु सम्मन तामील प्रेष नहीं हुआ। काफी अवसर दिये जाने के बावजूद सम्मन तामील प्रेष नहीं हुआ। कारण ज्ञात। संशोधित यथेष्ट प्रेष [illegible] भी काफी अवसर दिया गया। [illegible] प्रेष नहीं हुआ। अतः वाद वादी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 CPC में खारीज किया

जाता है। पत्रावली नस्ती के साथ दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chauhan
Date: 2022.05.17 16:09:29 IST
Reason: SelfAttested